"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2007—कार्तिक 25, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 05-11-2007 से 07-11-2007 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—इस विभाग के समसख्यंक आदेश दिनांक 12-10-2007,द्वारा श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 15-10-2007 से 24-10-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम श्री उम्मेन, भा. प्र. से. को दिनांक 25-10-2007 का एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9444/2007/25-3/आजाक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 अध्याय-2 की कण्डिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय श्री कमल भान सिंह, विधायक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. इनकी कार्य अवधि तीन वर्ष होगी.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9678/2007/25-3/आजाक.—संयुक्त संसदीय समिति राज्य सभा नई दिल्ली बैठक दिनांक 20-09-2007 में दिये गये निर्देशानुसार एवं वक्फ एक्ट 1995 की धारा 4 के अंतर्गत बीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर राज्य शासन, एतद्द्वारा, वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, छत्तीसगढ़, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ-7-15/2007/9/17.—डॉ. जी. एस. ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहरपुर जिला-कांकेर के विरुद्ध पुलिस थाना नरहरपुर जिला-कांकेर में पंजीबद्ध अपराध क्र. 58/2006 में धारा-376 (ख) आई. पी. सी. भा. दं. वि. के अंतर्गत रिमांड वारंट आदेश दिनांक 9-6-2006 के तहत उपजेल कांकेर में परिरूद्ध रहने के फलस्वरूप संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ. ग. रायपुर के आदेश क्र. एफ-6-18/2006/विज्ञप्ति/686, दिनांक 8-9-2006 से निलंबित किया गया.

2. उक्त अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 21/2006 में पारित निर्णय दिनांक 24 मई 2007 से घृणित अपराधिक कृत्य के लिए डॉ. ठाकुर को धारा 376 भा. दं. वि. के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु. 10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

3. चूंकि डॉ. ठाकुर को मान. न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध में दोषी पाये जाने के कारण दंडित किया गया है, जिससे उसे शासकीय सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है. डॉ. ठाकुर के विरुद्ध की गई उक्त गंभीर कदाचरण के लिए राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-2/98/3/1, दिनांक 8-2-99 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (9) में उल्लेखित शास्ति "सेवा से पदच्युत किये जाने, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" अधिरोपित किये जाने संबंधी अनंतिम निर्णय लिया गया. यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्र के अंतर्गत संबंधित शासकीय सेवक को कार्यवाही के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

4. चूंकि डॉ. ठाकुर, राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी होने के कारण राज्य शासन द्वारा लिये गये अनंतिम निर्णय छ. ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को अभिमत प्राप्त किया गया. छ. ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर ने अपने पत्र क्र. 1100/67/2007/जी. एस., दिनांक 18-10-2007 से शासन द्वारा लिये गये अनंतिम निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की है.

5. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. जी. एस. ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहरपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा किये गये गंभीर कदाचरण के लिए मान. न्यायालय कांकेर द्वारा सजा से दंडित किये जाने के कारण छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (9) में उल्लेखित शास्ति "सेवा से पदच्युत किये जाने, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" अधिरोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 9-2/2007/16.—चूंकि कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जांजगीर-चांपा के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज इण्डिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेट, गोपालनगर, जिला जांजगीर-चांपा के द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जांजगीर-चांपा और महासचिव और लाफार्ज इण्डिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक), आरसमेटा, गोपालनगर, जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप याचिका क्रमांक-2839/2007 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पारित आदेश दिनांक 8-5-2007 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-2-2007 द्वारा माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर के स्थान पर, माननीय औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट, की स्थायी बदली स्पेलेज, बदली टायल, वेज बोर्ड स्टाफ में कार्यरत कर्मकारों को वर्ष 2005-06 हेतु सोनाडीह-जोजोबेरा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों को वितरित अनुग्रह राशि 13.8% की भांति किया जाना उचित एवं वैध है ? अगर हां तो तत्संबंध में नियोजक को क्या निर्देश है तथा कर्मचारी किस सहायता के पात्र हैं ?

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 9-3/2007/16.—चूंकि मैनेजर लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट जिला जांजगीर-चांपा एवं श्री जोगेन्द्र सिंग ठेकेदार लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेंट वर्कर्स युनियन सभा भवन, नंदिनी रोड भिलाई द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक मैनेजर, लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा, सीमेंट प्लांट, जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप याचिका क्रमांक-2839/2007 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पारित आदेश दिनांक 8-5-2007 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-2-2007 द्वारा माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर के स्थान पर, माननीय औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट, में कार्यरत 252 पीस रेटेड कर्मकारों को नियमित किया जाकर सीमेंट वेज बोर्ड अवार्ड अनुसार वेतनमान दिया जाकर पीस रेट प्रथा को समाप्त किया जाना उचित है ?

2. क्या पैकर मैन, क्लीनर, बैग सप्लायर को नियमित किया जाकर नियमित वेतन एवं सुविधा दिया जाना उचित है ?

3. अगर हां तो आवेदक किस सहायता का पात्र है ?

4. अनावेदक को तत्संबंध में क्या निर्देश है ?

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 11-6/2006/16.—चूंकि कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जिला जांजगीर-चांपा के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्कर्स युनियन मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा, सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जांजगीर-चांपा और जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्कर्स युनियन मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड भिलाई, जिला दुर्ग के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप याचिका क्रमांक-2839/2007 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पारित आदेश दिनांक 8-5-2007 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-1-2007 द्वारा माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर के स्थान पर, माननीय औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट, गोपालनगर, जांजगीर-चांपा में कार्यरत ठेका श्रमिकों को वर्ष 2004-05 के लिए 20% की दर से बोनस एवं 2700 एक्सग्रेशिया राशि नियमित कर्मचारियों के समान दिया जाना उचित होगा ? यदि हां तो नियोजक को इस संबंध में क्या निर्देश दिए जाने चाहिए.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 11-8/2006/16.—चूंकि लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जांजगीर-चांपा के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा, गोपालनगर, जिला जांजगीर-चांपा के द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इण्डिया प्रा. लिमि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपालनगर, जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप याचिका क्रमांक-2839/2007 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पारित आदेश दिनांक 8-5-2007 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-1-2007 द्वारा माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर के स्थान पर, माननीय औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट, में कार्यरत समस्त श्रमिकों को सोनाडीह-जोजोबेरा सीमेंट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के समान वेतन एवं सभी अस्थायी सुविधाएं दिया जाना चाहिए ?

2. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट के बदले कामगारों को जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं. प्लांट में खाली जगह वाले एरिया में स्थायी किया जाना उचित होगा. यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 1-66/07/16.—राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-66/07/16 दिनांक 19-09-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (2) (क), (ख) में निर्धारित अभिदाय दरों में निम्नानुसार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है :—

(क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापना के रजिस्टर में 30 जून या 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छ: माह में देय अभिदाय की रकम रुपये 1/- (एक मात्र) के स्थान पर 6/- (छ: मात्र) होगी, और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छ: माह में देय अभिदाय की रकम रुपये 3/- (तीन मात्र) के स्थान पर रुपये 18/- (अठारह मात्र) देय होगी.

(ख) प्रत्येक छ: माह में देय नियोजक का न्यूनतम अभिदाय रुपये 150/- (एक सौ पचास मात्र) के स्थान पर रुपये 500/- (पांच सौ मात्र) से कम नहीं होगा.

राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 01-01-2008 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जब से यह अभिदाय वृद्धि प्रभावशील होगी. राज्य के समस्त ऐसे कारखाने एवं स्थापनाएं जिन पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम, 1982 के समस्त उपबंध प्रभावशील हैं पर यह वृद्धि प्रभावशील होगी.

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30-08-2007 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6).—अत: शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में तथा श्रमिक वर्ग के हित में मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को सहायता उपक्रम घोषित करना आवश्यक है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 तथा सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोवीजन्स) एक्ट, 1985 (क्रमांक 1 से 5 1986) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 01 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि के लिये सहायता उपक्रम घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6), दिनांक 25-10-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

Raipur, the 25th October 2007

No. F 16-13/2001/11/(6).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial unit, namely M/s Ambuja Cement Eastern Ltd. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur, a relief undertaking.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Chhattisgarh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) and under section 32 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 to 5 1986) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "M/s Ambuja Cement Eastern Ltd. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur" a relief undertaking for the period with effect from 1st April 2006 to 31st March 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 14-2/2003/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2001 से प्रभावशील अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2/03-11/(6) 11-2, दिनांक 03/07-06-2003 द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2001" की कंडिका-8 में निम्नानुसार संशोधित करता है :—

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आदेश पारित होने के 45 दिनों के अन्दर आयुक्त/संचालक उद्योग को एवं आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय एवं अंतिम अपील आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर राज्य शासन को की जा सकेगी.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 20-95/2004/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2004 से प्रभावशील अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/ (6), दिनांक 10 अगस्त 2005 द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2004" की कंडिका-9 के उप कंडिका-1 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील 45 दिनों के भीतर आयुक्त/संचालक उद्योग को तथा आयुक्त/संचालक उद्योग के द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील 30 दिनों के भीतर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी.

अपील अधिकारी को अपील करने में तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा. अपील अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण पर निराकरण किया जायेगा.

इस कंडिका की उप कंडिका 2 एवं उप कंडिका 3 यथावत् रहेंगे.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 6-14/सात-3/2007.—भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 3 के खण्ड (ग) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अपर कलेक्टर जिला बस्तर को उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये 21 फरवरी, 2007 से सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है.

No. F-6-14/Seven-3/2007.—In the exercise of the powers conferred by clause (c) section 3 and section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894), the state Government hereby, authorises Additional Collector of Bastar District to exercise the powers of competent authority under the said Act with effect from 21st February, 2007.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-2/सात-3/07.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1000 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, घरघोड़ा जिला रायगढ़ द्वारा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-67/2005 में जारी सूचना दिनांक 28-4-2006, जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 09-06-2006 को प्रकाशित हुई थी, के अनुसार 12 ग्रामों की निजी भूमि के नीचे जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार निम्नांकित शर्तों के तहत आवेदक निगम (संस्था) में निहित करता है :—

1. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार स्थापना व्यय/कार्यालय व्यय अन्य व्यय रु. 5,60,333/- (पांच लाख साठ हजार तीन सौ तैंतीस) मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा जमा कराया जाए.

2. मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, जिला रायगढ़, छ. ग. के साथ संविदा निष्पादन के लिये कलेक्टर, जिला रायगढ़, छ. ग. को अधिकृत किया जाता है.

3. शेष कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में किया जावे.

4. समस्त प्रभावितों को निर्धारित मुआवजा वितरण उपरांत उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक अवधि की समय-सीमा निर्धारित कर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जावे.

5. उक्त कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ द्वारा अधिनियम तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. बर्मन, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 238/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 10	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया..	दर्राभाठा माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 239/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा	0.294	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	कर्रापाली माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 240/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा	0.170	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	मेढ़ापाली माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक 841/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस	2.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन उप संभाग, रायगढ़.	बगरैल सब माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8638/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	पोसवार	0.920	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना की डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8689/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	तोनोली	0.912 एवं 2 पक्का कुआं	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना की डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9074/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के ख़ाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	लाल बहादुर नगर प. ह. नं. 85/2	9.916	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बॅराज के के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9075/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21	49.239	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बॅराज के डूबान हेतु.

भूमि की नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9076/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुगलानी प. ह. नं. 21	15.085	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बॅराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9077/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	नारायणगढ़ प. ह. नं. 21	98.043	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बॅराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2007

क्रमांक/9617/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	नजूल शहर डोंगरगढ़	1806	कार्यपालन अभियंता, लोक. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	डोंगरगढ़ से चिचोला रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर-ब्रिज के सर्विस रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सुर्री प. ह. नं. 29	5.869	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर हेतु ग्राम सुर्री के निजी भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प. ह. नं. 20	8.402	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोसमपाली जलाशय योजना बाबत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तेलीपाली प. ह. नं. 26	5.538	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बिजना प. ह. नं. 26	6.211	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तेतला प. ह. नं. 29	4.185	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लिंजिर प. ह. नं. 25	14.195	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./01/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नरदहा	1091	3.83	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-3, शंकर नगर, रायपुर.	मंदिर हसौद में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		प. ह. नं. 80/11	1380	13.61		
		रा. नि. मं.	1454	0.69		
		मंदिर हसौद	1501	17.14		
			1503	3.81		
		योग	**05**	**39.08**		

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./02/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेमरिया	900	3.25	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-3, शंकर नगर, रायपुर.	मंदिर हसौद में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		प. ह. नं. 80/1	922	0.12		
		रा. नि. मं.	940	3.36		
		मंदिर हसौद	942	1.55		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			944	0.72		
			984	0.36		
		योग	**06**	**9.36**	—	

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अं./प्र. क्र./01/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पिरदा	68	0.259	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-3, शंकर नगर, रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		प. ह. नं. 111	73	5.087		
		रा. नि. मं.	79	0.503		
		रायपुर-1	81	0.004		
			82	2.837		
			333	0.109		
			607	0.999		
			609	0.024		
			610	0.409		
			617	1.076		
			628	4.141		
			630	5.322		
			638	3.358		
			664	1.032		
			683	1.469		
			684	1.392		
			689	1.331		
			694	1.412		
		योग	**17**	**30.764**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक 13/अ 82/2006-07/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बनियाडीह	0.03	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत.	एम. जी. आर. रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमंदा, प. ह. नं. 11/40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1	0.101
योग	1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेन्द्रीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-भाटापारा

(ग) नगर/ग्राम-कोनी, प. ह. नं. 14/31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.648 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69/3	0.049
	68	0.113
	66/1	0.028
	65/8	0.053
	65/11	0.041
	25	0.049
	69/1	0.093
	64/1	0.113
	64/2	0.032
	65/10	0.053
	65/2	0.024
योग	11	0.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेन्द्रीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9061/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-नागरकोहरा, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.42 एकड़

खसरा नम्बर	रक़बा (एकड़ में)
(1)	(2)
38/4	0.08
38/5	0.41
82/14	0.50
38/32	0.02
38/23	0.08
38/9	0.02
76	0.42
38/10	0.11
38/31	0.25
38/11	0.50
38/12	0.11
38/6	0.23
9	1.35
58	1.01
36/4	0.34
36/5	0.05
31/2	0.23
32/3	0.28
32/2	0.44
32/4	0.09
32/1	0.25
33	0.16
32/5	0.40
32/6	0.13
55/1	0.12
55/6	0.11
55/2	0.33
55/3	0.36
55/4	0.30
55/5	0.28
57/3	0.36
77/9	0.11
81/2	0.10
80	0.10
81/3	0.24
81/4-5-6	0.05

(1)	(2)
81/9	0.20
81/1	0.20
82/3	0.45
82/7	0.25
82/5	0.42
82/6	0.01
83/1	0.38
107/10	0.13
107/11	0.23
107/12	0.26
108/1	0.10
82/12	0.14
108/2	0.28
108/3	0.01
108/4	0.01
106/2	0.37
110/1	0.01
106/4	0.15
110/2	0.28
111/3	0.72
375/1	0.04
111/4	0.03
111/5	0.37
379/1	0.21
377/1	0.22
377/2	0.22
379/2	0.50
379/3	0.20
379/4	0.23
380/2	0.07
385/1	0.51
385/2	0.19
386	0.70
384	0.08
383/3	0.23
387	0.13
383/2	0.45
403	0.34
404/1	0.37
404/2	0.41
408	0.83
514/4	0.37
514/1	0.70
514/2	0.13
514/3	0.37
516/4	0.15
516/10	0.37
516/9	0.20
517/2	0.40
516/11	0.53
82/15	0.85
82/11	0.32
82/13	0.18
योग 89	25.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9062/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रंगीटोला, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
16	0.23
17	0.12
15/3	0.20
24/1	0.33
21/2	0.02

	(1)	(2)
	22/1	0.94
	33/4	0.43
	31/2	0.23
	31/1	0.22
	30/8	0.02
	44/1	0.01
योग	11	2.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9063/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कल्लूटोला, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	186/3	0.10
	186/11	0.09
	186/6	0.29
	186/7	0.29
	186/9	0.50
	187/2	0.50
	187/1	0.37
	189/2	0.30
योग	8	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9064/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
115	0.45
114/3	0.41
114/4	0.05
113/3	0.45
113/2	0.20
111/3	0.22
110/7	0.12
113/10	0.21
111/2	0.25
110/9	0.25
111/1	0.02
110/3	0.11

	(1)	(2)
	110/1	0.56
	125/1	0.22
	125/2	0.44
	125/4	0.22
योग	16	4.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बॅराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9065/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झिथराटोला, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.06 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1	0.41
	2/2	0.08
	4/5	0.11
	4/1	0.18
	4/4	0.42
	4/2	0.75
	7/1	1.05
	7/4	0.50
	10/2	0.16
	11/1	0.48
	11/2	0.04
	12/1	0.39
	12/2	0.04
	12/3	0.21
	13/2	0.40
	15/11	0.78
	15/12	0.08
	15/13	0.01
	18/3	0.25
	18/2	0.17
	49/1	0.09
	20/2	0.09
	20/3	0.13
	23/1	0.27
	23/2	0.27
	24/2	0.16
	24/3	0.21
	25/2	0.14
	25/3	0.16
	26/1	0.27
	26/2	0.22
	26/3	0.22
	26/4	0.18
	26/5	0.14
योग	34	9.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 37/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भथरी, प. ह. न. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
868	0.05
869, 870, 871	0.48
877	0.24
1003	0.40
1004/1	0.03
1004/2	0.03
1010/1	0.29
1010/2	0.30
1011/2	0.30
1011/4	0.30
योग	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर-मुंगेली बायपास मार्ग पर मनियारी नदी सेतु पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पथरगढ़ी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.64 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1, 5/2 ख	0.02
5/1 क	0.46
5/1 ख	0.18
2	0.12
4/1	0.05
20	0.19
21/2	0.01
19/1	0.22
19/2	0.22
17	0.27
18	0.26
364 ,365/1, 365/2	0.27
382/6, 382/7	0.07
16	0.18
409/2	0.50
382, 382/4, 382/5	0.15
42	0.06
381	0.09
382/1	0.29
367	0.20
377/2	0.21
376/1	0.15
361/3	0.89
361/1	0.98
402	0.05

(1)	(2)
368	0.17
405	0.45
363/1 क, 363/1 ख	0.18
409/1	0.01
413	0.32
415	0.22
376/2	0.15
414	0.19
412	0.07
525	0.12
568, 569	0.46
537	0.36
567	0.46
540	0.05
535	0.34
योग 40	9.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भरेवा, प. ह. न. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3	0.11
4	0.12
2/1	0.09
5	0.19
24/3	0.01
159	0.08
11/1	0.20
11/2	0.29
15	0.30
23/3	0.34
23/1	0.51
115/1	0.24
89	1.18
82/2	0.12
82/1	0.22
82/3	0.43
81	0.12
80/2	0.16
80/3	0.17
79	0.12
80/1	0.25
78/1	0.45
118/1	0.04
158	0.04
141	0.20
119/2	0.16
146	0.44
148	0.14
136/2	0.02
137	0.29
138	0.32
150/1	0.28
139	0.03
140/1	0.24
140/3	0.05
112/2	0.30
112/3	0.37
115/2	0.24
योग 38	8.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 39/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदभोग, प. ह. न. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
32/1	0.01
32/2	0.30
31	0.04
33	0.34
34	0.37
35/2	0.24
432/1	0.16
27/3	0.03
36/3	0.07
39	0.03
64	0.13
36/1, 36/4	0.06
37/1	0.22
37/3	0.28
38	0.64
36/2	0.03
68/2	0.12
67	0.61
71	0.03
72/3	0.12
66	0.36
95	0.21
218/2	0.23
65	0.18
93	0.07
94	0.26
435/2 ख	0.19
63	0.02
96/1, 96/2	0.10
218/1	0.07
217	0.10
216	0.01
180	0.01
477	0.02
219	0.22
432/4, 432/9	0.12
215	0.03
220, 221	0.55
435/3	0.01
200	0.85
199/2	0.01
190/1	0.24
190/2	0.01
191, 192	0.67
419/1, 420/1	0.44
435/1	0.35
429/2	0.27
417/1	0.30
419/2, 420/2	0.01
419/4, 420/4	0.40
432/3	0.26
435/6	0.34
412/6 क	0.08
435/2 क	0.43
439/1	0.04
472/1	0.06
476/1, 476/2	0.28
479/1	0.01
478	0.12
475/2	0.50
481/5	0.01
493/1	0.03
481/3	0.20
482/1	0.54
540, 541	0.06
536	0.21
574/1	0.20
573	0.12
533	0.49
537/1	0.26
571/2	0.42
571/1	0.54
571/3	0.15
433/1	0.04

(1)	(2)
412/2, 412/3	0.30
417/3	0.20
412/1	0.06
27/4	0.20
योग 78	16.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्रमांक 4/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 कें अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
740/4	0.08
743/2	0.17
784/2, 785/2	0.15
728/5	0.10
789/1	0.31
722/2, 728/4	0.39
744/4	0.14
738/3, 782/2	0.05
936/4	0.20
962	0.10
994/1 ख	0.14
782/3	0.18
734/1, 788/1	0.04
789/2	0.11
734/2, 788/2	0.12
953, 955, 969, 975	0.43
976	0.03
744/2	0.10
783/1	0.05
658/2	0.05
658/4 ख	0.11
740/1, 741	0.24
790/2	0.10
784/1, 785/1	0.05
787/4	0.05
932	0.02
936/5	0.04
936/6	0.09
985	0.29
657/2	0.06
722/1	0.08
994/1 क	0.13
743/3, 973	0.15
974, 980, 981/1	0.28
790/1	0.13
986	0.20
745	0.06
744/5	0.04
789/3	0.17
योग 38	5.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-कोरजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.84 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
212	0.10
59/33	1.89
59/35	0.60
237	0.17
59/22	3.30
59/36	0.52
59/52	0.85
208/3	0.09
293/2	0.14
183/2	0.12
182/1	0.08
197/1	0.40
202	0.18
238/1	0.13
59/6	2.00
64/2, 67/2	0.46
64/1, 67/1	0.69
196	0.20
201	0.15
59/20	0.75
59/37	0.76
208/2	0.14
211	0.03
208/1	0.09
योग 24	13.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गांगपुर जलाशय डूब, मुख्य एवं माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2007

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-भनसुला, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16 कच्चा मकान

क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	ख. नं. (1)	रकबा (हे.) (2)
1.	प्रभु-दशरू	116/2	एक कच्चा मकान
2.	माखन-खोरबहरा	82/2	--,,--
3.	जगराखन-खोरबहरा	82/2	--,,--
4.	जिवराखन-खोरबहरा	82/2	--,,--
5.	संतराम-रामप्रसाद	82/2	--,,--
6.	अवधराम-कार्तिकराम	83/1	--,,--
7.	नरबदा-अवधराम	83/1	--,,--
8.	बद्री-अवधराम	83/1	--,,--
9.	शिवकुमार-अवधराम	83/1	--,,--
10.	मंगलू-रामप्रसाद	41/2	--,,--
11.	तुलसीराम-रामप्रसाद	41/2	--,,--
12.	सुखनबाई-रामप्रसाद	41/2	--,,--
13.	पंचूराम-शिवचरण	41/2	--,,--
14.	गिरधारी-भरोसी	41/2	--,,--
15.	जगधारी-भरोसी	41/2	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	डोमार-हिरऊ	85	एक कच्चा मकान
योग		16	कच्चा मकान

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2007

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बनखैरा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10 कच्चा मकान

क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	ख. नं.	रकबा (हे.)
		(1)	(2)
1.	बाबूलाल पि.दरबारी	31	एक कच्चा मकान
2.	देवसिंह-नन्दू	35	--,,--
3.	सार्वजनिक,मंडली भवन	35	--,,--
4.	अधनबाई पि. चमरू	35	--,,--
5.	ग्रामेसिंह पि. सुद्धू	38, 39/1, 39/2, 40/1, 42	--,,--
6.	वीरसिंह पि. मंगतू	38, 39/1, 39/2, 40/1, 42, 40/2	--,,--
7.	सुद्धू पि. जैतां	40/2	--,,--
8.	केजऊ पि. भैरा	41	--,,--
9.	लूरसिंह पि. मंगलू	44	--,,--
10.	रामसिंह पि. धरमसिंह	44	--,,--
योग		10	कच्चा मकान

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ. ग.) 492 001

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक मुनिवा/बा.अ. परीक्षा/4643/2006.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर अटेन्डेन्टस नियम, 1958 के अंतर्गत द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्टस को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर-2007 को मेसर्स रायपुर एलायस एंड स्टील लि., सिलतरा, फेस-I, सिलतरा, रायपुर में आयोजित की जावेंगी. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") इस कार्यालय से

स्वयं का पता लिखा 4 ×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 (अक्षरी रुपये दस मात्र) के डाक टिकिट लगे हो भेजकर प्राप्त कर सकते है. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (प्रपत्र-"अ") के भाग-III में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी विज्ञप्त/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. निर्धारित प्रारुप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी का धारा 2 (डी) के अंतर्गत मालिक होना अनिवार्य है.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र सचिव, बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492 001 में दिनांक 27-11-2007 तक या उसके पूर्व पहुंचने अनिवार्य है. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

टीप :

1. **योग्यता**

(अ) द्वितीय श्रेणी परीक्षा

(1) फायरमेन के पद पर तीन वर्ष का कार्य अनुभव

(2) शैक्षणिक योग्यता : निरंक

(ब) प्रथम श्रेणी परीक्षा

(1) द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट के रूप में दो वर्ष का कार्य अनुभव

(2) शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण

अविनाश भटनागर,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र 01 (ब)

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक 10064.—छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-11-95-22-पं.-2, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-रायपुर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारिणी" कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शायी गयी है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अभनपुर	रवेली	रवेली	3404	121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		भुरकुनी	550	121
		योग	**3954**	

Form- 1 B

Raipur, the 3rd November 2007

No. 10064.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department Notification No. 1-11-95-XXII-P-2, Dated 23rd February 1999 under the provisions of Section 3 of the Chhattisgarh Panchayat Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the Collector of Raipur revenue district hereby specify the village for the purpose of the said Act, named as shown in column (2) of the table given below (hereinafter referred as Table) for the village or group of villages shown in column (3) of the table and where population is shown in column (4) of the table and hereby publishes for the public information.

TABLE

Name of Block	Name of Village	Village or Group of Villages included in Village	Population	Patwari Circle Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abhanpur	Raveli	Raveli	3404	121
		Bhurkuni	550	121
		Total	**3954**	

प्रपत्र 01 (ब)

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक 10064.—छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-11-95-22-पं.-2, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-रायपुर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारिणी" कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शायी गयी है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिमगा	खण्डुवा	खण्डुवा	779	13
		चुटचुटिया	439	13
		योग	**1218**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिमगा	पौंसरी	पौंसरी	1317	22
		योग	**1317**	
सिमगा	दुलदुला	दुलदुला	560	12
		योग	**560**	

Form- 1 B

Raipur, the 3rd November 2007

No. 10064.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department Notification No. 1-11-95-XXII-P-2, Dated 23rd February 1999 under the provisions of Section 3 of the Chhattisgarh Panchayat Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the Collector of Raipur revenue district hereby specify the village for the purpose of the said Act, named as shown in column (2) of the table given below (hereinafter referred as Table) for the village or group of villages shown in column (3) of the table and where population is shown in column (4) of the table and hereby publishes for the public information.

TABLE

Name of Block	Name of Village	Village or Group of Villages included in Village	Population	Patwari Circle Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Simga	Khanduwa	Khanduwa	779	13
		Chutchutiya	439	13
		Total	**1218**	
Simga	Paunsary	Paunsary	1317	22
		Total	**1317**	
Simga	Duldula	Duldula	560	12
		Total	**560**	

प्रपत्र 01 (ब)

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक 10064.—छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-11-95-22-पं.-2, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-रायपुर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारिणी" कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शायी

गयी है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलाईगढ़	टेड़ीभदरा	टेड़ीभदरा	375	15
		डोंगियाभाठा	129	15
		उमरपाली	59	15
		गंगोरीटाड़ा	433	15
		योग	996	

Form- 1 B

Raipur, the 3rd November 2007

No. 10064.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department Notification No. 1-11-95-XXII-P-2, Dated 23rd February 1999 under the provisions of Section 3 of the Chhattisgarh Panchayat Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the Collector of Raipur revenue district hereby specify the village for the purpose of the said Act, named as shown in column (2) of the table given below (hereinafter referred as Table) for the village or group of villages shown in column (3) of the table and where population is shown in column (4) of the table and hereby publishes for the public information.

TABLE

Name of Block	Name of Village	Village or Group of Villages included in Village	Population	Patwari Circle Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bilaigarh	Tedibhadra	Tedibhadra	375	15
		Dongiabhatha	129	15
		Umarpali	59	15
		Gagoritada	433	15
		Total	**996**	

विकास शील,
कलेक्टर.